



कार्यालय विक्रय अधिकारी

बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारां प्रधान कार्यालय, नियर बस स्टेण्ड-बारां टेलीफोन 07453-230084

क्रमांक :- 666-674

—:पूर्व स्थगित विक्रय की उदघोषणा :-

दिनांक:-10.02.2026

समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि पूर्व स्थगित विक्रय की उदघोषणा के तहत राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 99-100 के अन्तर्गत चूक करने वाले अग्रांकित ऋणी सदस्य गण से बैंक बकाया ऋण तथा कुर्की/बिक्री का खर्चा वसूल करने के लिए न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों बारां के आदेशानुसार अधिकृत विक्रय अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार वर्णित मौके पर अवस्थित सम्पत्ति प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा "जहाँ है, जैसी है" और जो है, जो कुछ भी है", जिसके पास भी है"के आधार पर को विक्रय करने हेतु अग्रांकित दिनांक/तिथि एवं नीलामी स्थल पर सार्वजनिक रूप से खुली बोली के द्वारा नीलाम/विक्रय किया जावेगा। तथापि बोली समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्चा चुका दिये जाने की स्थिति में विक्रय बन्द कर दिया जावेगा। नीलामी की शर्त बैंक की वेबसाइट bnsb.bank.in एवं बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड, बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी दिनांक :-16.03.2026

क्र	रहन एवं विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	नीलामी दिनांक	नीलामी समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (₹0)	जमानतदार
1	ऋणी एवं सम्पत्ति मालिक श्री गिरधर गोपाल पुत्र श्री मारुती प्रसाद एवं श्रीमति रेणु पत्नि गिरधर गोपाल निवासी-नियर छप्पण कोट जी का मन्दिर, श्रीजी चौक बारां जिला-बारां (राजस्थान) ब्लूप्रिन्ट नक्शा, एवं रजिस्ट्री भूमि, विक्रयपत्र/आलेखित बयनामा दिनांक:-04.02.2019 एवं दिनांक-03.05.2019 को पुस्तक सं0-1, जिल्द सं0-321 में पृष्ठ सं0-63 क0 सं0-201903116100906 पर रजिस्टर्ड उपपंजीयक बारां एवं बैंक में रहन (रहननामा) दिनांक-01.12.2018 अनुसार अचल सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य वेल्यूवेशन अनुसार, अचल सम्पत्ति की साईज/माप :-21X 29 = 609" वर्गफीट ग्राउण्ड एवं प्रथम मंजिल (यथास्थिति मौकानुसार) पूर्व:- गली बाद मकान श्री शिवकुमार, पश्चिम:- मकान श्री धासीलाल, उत्तर:- रास्ता, दक्षिण:- मकान श्री धासीलाल	16.03.2026	दिन के 03 बजे तक	बा.ना.स. बैंक लि. प्रधान कार्यालय भवन नियर बस स्टेण्ड बारां	अंक- 2744800.10 ₹0 31.01.2026 तक एवं ब्याज ता तारीख तथा 10 प्रतिशत कुर्की/बिक्री खर्चा बैंक नियमानुसार अलग से।	1. श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी शिवम विहार कालोनी कोटा रोड -बारां 2. श्री ओमप्रकाश सेन पुत्र श्री शंकरलाल निवासी- गिरधरगोपाल की गली भोलेनाथजी के मन्दिर के पास-बारां

नीलामी की शर्त :-

- रजिस्ट्रेशन राशि 5000/-₹0 रहेगी, जो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास दिनांक-16.03.2026 को 10 बजे से दिन के 03 बजे तक नकद जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
- नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपस्थित होंगे, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटो, पेन कार्ड, आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली में रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/-₹0 के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढ़ती रहेगी।
- नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे बोली समाप्त के बाद 25 प्रतिशत राशि उसी दिन या 01 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, उक्त समयवधि में राशि जमा नहीं होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- शेष बकाया नीलामी राशि 15 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड बारां में उक्त खाता संख्या-001130901150130 में जमा करानी होगी। 15 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत जमा राशि भी जब्त कर ली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नहीं कराता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड़ सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
- नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
- नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- यदि ऋणी द्वारा नीलामी दिनांक से 30 दिवस में बकाया ऋण राशि, ब्याज, वसूली खर्च, एवं अन्य नीलामी से संबंधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होगा तथा बोली दाता की नीलामी राशि बैंक में प्रचलित सैविंग्स ब्याज दर सहित वापस लोटा दी जावेगी।
- चल एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत की जावेगी।
- मौके पर सम्पत्ति प्रतिकात्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा "जहाँ है, जैसी है" और जो है, जो कुछ भी है", जिसके पास भी है"के आधार पर यथास्थिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
- उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया ड्यूज, एवं सम्पत्ति ट्रान्सफर खर्च क्रेता को वहन करना होगा।
- नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम में परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।
- विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौके पर पधारकर बोली लगावे।

Sd
विक्रय अधिकारी

बारां नागरिक सहकारी बैंक लि.

दिनांक:-10.02.2026

कमांक (फा) बानासबैंक प्र.का.बारां/वसूली/2025-26/ 666-674

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

- 1 श्रीमान् न्यायालय उपरजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां बारां।
- 2 श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बैंक बारां।
- 3 श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय, बैंक बारां।
- 4 शाखा प्रबन्धक-शाखा-मुख्यशाखा बारां/प्रधानकार्यालय शाखा बारां/तेलफेक्ट्री एरिया बारां, शाखा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें
- 5 सम्पत्ति मालिक/ऋणी श्री गिरधर गोपाल पुत्र श्री मारुतीप्रसाद एवं श्रीमति रेणु पत्नि गिरधर गोपाल निवासी-नियर छप्पण कोट जी का मन्दिर, श्रीजी चौक बारां को जर्ज पत्र द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त रहन शुदा सम्पत्ति की नीलामी हेतु विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 02.03.2026 के बाद के स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित करवा दी जावेगी। समस्त ऋणी सदस्य एवं जमानतदारान् सूचित हो।
- 6 जमानतदार- श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी शिवम विहार कालोनी कोटा रोड -बारां
- 7 जमानतदार- श्री ओमप्रकाश सेन पुत्र श्री शंकरलाल निवासी-गिरधरगोपाल की गली भोलेनाथ जी के मन्दिर के पास-बारां।
- 8 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु बैंक/नगर परिषद बारां




विक्रय अधिकारी
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि०
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि०